

22.7.22

पतावली सेवा हुई। वकील पक्ष नाराज अनुपासित।  
 वकील मोदिया एवं कोदिया तथा वकील प्रतिवादिओं <sup>अप्राप्तियों</sup> अप्राप्तियों  
 एवं प्रतिवादिओं <sup>अप्राप्तियों</sup> को न्यायालय समक्ष लाना कार्रवाई  
 आमाजलगावई गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुए हैं।  
 अतः कोदिया का वाद प्रार्थना पत्र नोटिस आदि  
 नोटिस आदेश 09 नियम 2A के द्वारा 15 के जा-दी-  
 साहित्य 1908 अन्तर्गत आदेश 09 नियम 03-  
 के तहत अदम हाजरी अदम पेशी में त्वारिप्त-  
 किया जाता है। पतावली फौजदार होकर  
 न्यायालय से न्याय होकर दायित्व दफ्तार है। निर्णय  
 बुलेटिन न्यायालय में सुनाया गया।

उपरवाड अधिकारी  
 साँभर लोक

